**भारत सरकार**

**खान मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 1064**

**29 जुलाई, 2015 को उत्‍तर के लिए**

**खनन कार्य में पारदर्शिता**

**1064. श्री प्रभात झाः**

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के कुल खनन क्षेत्र में से वर्तमान में मात्र एक प्रतिशत क्षेत्र में खनन कार्य हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खनन कार्य विस्तार और उसमें गतिशीलता एवं पारदर्शिता लाने की दिशा में सरकार द्वारा हाल ही में कई नीतिगत उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**खान एवं इस्‍पात राज्‍य मंत्री (श्री विष्‍णु देव साय)**

(क) एवं (ख) : खनिजों के स्‍वामी के रूप में राज्‍य सरकारें खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार गवेषण और खनन के लिए खनिज रियायतें प्रदान करती है । खनन क्षेत्रों तथा खनन पट्टों के अंतर्गत प्रदान किए गए क्षेत्र का ब्‍यौरा केंद्रीय स्‍तर पर नहीं रखा जाता है ।

(ग) एवं (घ) : जी, हां । सरकार ने हाल ही में एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 के जरिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 को संशोधित किया है, जिसमें अन्‍य बातों के साथ-साथ निम्‍नलिखित के लिए प्रावधान है: (i) प्रतिस्‍पर्धात्‍मक बोली द्वारा नीलामी के जरिए खनिज रियायतें प्रदान करना; (ii) मौजूदा पट्टों की पट्टा अवधि की वैधता में विस्‍तार; (iii) खनन प्रचालनों से प्रभावित व्‍यक्‍तियों और क्षेत्रों के हित लाभ के लिए जिला खनिज प्रतिष्‍ठान की स्‍थापना; (iv) क्षेत्रीय और विस्‍तृत गवेषण के प्रयोजनों के लिए राष्‍ट्रीय खनिज गवेषण न्‍यास की स्‍थापना; (v) खनिज रियायते प्रदान करने की विधि को सरल बनाना और विलंब को दूर करना; तथा (vi) अवैध खनन को रोकने के लिए कठोर प्रावधान बनाना ।

**\*\*\*\*\*\***